विविध **बैंक प्रकरण संख्या 105/2022**(GCMS : **2022/151**) **ICICI Bank Limited, NBCC, Place Pragati Vihar, BishamPitamah Marg, New Delhi-110003** **बनाम** 1 **M/s CGR Collateral Management Ltd.**(Ealrier known as CGR Collatgeral Management Service Private Management Ltd. Registered Address 1st Floor, Shop No. 151 New Dhan Mandi, Sri Ganganagar Rajasthan-335001 and 205-206, 2nd Floor Prakash Deep Complex, Station Road, C-Scheme Jaipur - 302001 **2. Mr. Aman Deep**, Ward No. 9, Sadulshahar Sri Ganganagar 335062 Rajasthan Also at Shop No. 151, New Dhan Mandi, Sri Ganganagar-335001, Rajasthan **3. Mr. Om Parkash** Near Gupta Medical Store, Sadulshahar, Sri Ganganagar Rajasthan - 335062 Also at 26B, Dhan mandi,Sadulshahar, Sri Ganganagar- 335002, Rajasthan **4. Nirmala**, Ward No. 9, Sadulshahar, Sri Ganganagar- 335062, Rajasthan aslo at 246, New Dhan Mandi. Hanumangarh-335513 Rajasthan

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.07.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री रंजन राजपूत उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण मैसर्स सीजीआर कलेटरल मनेजमैंट लि., अमनदीप, ओम प्रकाश एवं निर्मला को ऋण सुविधा के रूप में 5.00/— करोड़ रूपये (अखरे पांच करोड़ मात्र) का ऋण दिनांक 23.09.2021 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सीजीआर कोलेटरल मैनेजमैंट लि. की सम्पत्ति All that part and parcel of immovable property situated at chak 13, LNP Second, Patwar Halka Bhaktawali (19 ML), GRAM Panchayat 18 ML, Khata No. 93/94, Murba No. 26, Kila No. 4 (0.025 Hectare) Kila No. 5 (0.228 Hectare) Kila No. 6(0.228 Hectare) & Kila No. 7 (0.025 Hectare) total admeasuring 0.506 Hectare, Riico industrial area, Tehsil and District Sri Ganganagar Rajasthan-335001 प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.07.19 11:16:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला रजिस्ट्रार
श्री गंगानगर

उनका ऋण खाता दिनांक 01.03.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 31.03.2021 को 5,33,85,511/—रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है **जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 03.08.2021 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया।** धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस पर अप्रार्थीगण मैसर्स सीजीआर कलेटरल मनेजमैंट लि., अमनदीप, ओम प्रकाश एवं निर्मला को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 04.08.2021 को भिजवाये गये है **इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी सीजीआर कोलेटरल मैनेजमैंट लि. द्वारा प्रार्थी बैंक के पास अपनी सम्पत्ति All that part and parcel of immovable property situated at chak 13, LNP Second, Patwar Halka Bhaktawali (19 ML), GRAM Panchayat 18 ML, Khata No. 93/94, Murba No. 26, Kila No. 4 (0.025 Hectare), Kila No. 5 (0.228 Hectare) Kila No. 6(0.228 Hectare) & Kila No. 7 (0.025 Hectare), in all admeasuring 0.506 Hectare, Riico industrial area, Tehsil and District Sriganganagar Rajasthan- 335001 का भौतिकं कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया। पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण** मैसर्स सीजीआर कलेटरल मनेजमैंट लि., अमनदीप, ओम प्रकाश एवं निर्मला को 5.00/— करोड रूपये (अखरे रूपये पांच करोड़ मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति 23.09.2014 **को प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी मैसर्स सीजीआर कलेटरल मनेजमैंट लि. की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.07.19 11:16:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

सम्पत्ति All that part and parcel of immovable property situated at chak 13, LNP Second, Patwar Halka Bhaktawali (19 ML), GRAM Panchayat 18 ML, Khata No. 93/94, Murba No. 26, Kila No. 4 (0.025 Hectare), Kila No. 5 (0.228 Hectare) Kila No. 6(0.228 Hectare) & Kila No. 7 (0.025 Hectare), in all admeasuring 0.506 Hectare, Riico industrial area, Tehsil and District Sriganganagar Rajasthan प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **01.03.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 03.08.2021 को जारी किये गये है तथा पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 04.08.2021 को भिजवाया गया, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी मैसर्स सीजीआर कलेटरल मनेजमैंट लि. द्वारा अपनी सम्पत्ति All that part and parcel of immovable property situated at chak 13, LNP Second, Patwar Halka Bhaktawali (19 ML), GRAM Panchayat 18 ML, Khata No. 93/94, Murba No. 26, Kila No. 4 (0.025 Hectare), Kila No. 5 (0.228 Hectare) Kila No. 6(0.228 Hectare) & Kila No. 7 (0.025 Hectare), in all admeasuring 0.506 Hectare, Riico industrial area, Tehsil and District Sriganganagar Rajasthan जो प्रार्थी बैंक के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.07.19 11:16:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

पास बंधक रखा हुआ है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 03.08.2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 03.08.2021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 04.08.2021 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी मैसर्स सीजीआर कलेटरल मनेजमैंट लि. के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली [illegible] वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और [illegible] 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और [illegible] मैसर्स सीजीआर कलेटरल मनेजमैंट लि. द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण [illegible] सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.07.19 11:16:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

सम्पत्ति All that part and parcel of immovable property situated at chak 13, LNP Second, Patwar Halka Bhaktawali (19 ML), GRAM Panchayat 18 ML, Khata No. 93/94, Murba No. 26, Kila No. 4 (0.025 Hectare), Kila No. 5 (0.228 Hectare) Kila No. 6(0.228 Hectare) & Kila No. 7 (0.025 Hectare), in all admeasuring 0.506 Hectare, Riico industrial area, Tehsil and District Sriganganagar, Rajasthan **का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु, उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग),
जिला मजिस्ट्रेट,
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.07.19 11:16:22 IST
Reason: SelfAttested